In the Ministry, when we offer clearances for non-forest purposes, whatever is the land, as has been defined as a result of the Supreme Court judgment, it is the land that is considered as a forest land for the purpose of the Ministry's administration.

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, it is highly necessary that the forest is conserved and, if possible, the forest area is increased. But, at the same time, it is a well-known fact that large areas under the forest are having very valuable minerals. So, in the national interest, it is highly necessary that these minerals are employed without hampering the ecological balance. Therefore, I would like to know whether the Government is considering to prepare a long-term plan on the basis of which, say portion by portion, minerals could be exploited. At the same time, more alternate areas are also brought under the forest cover. I would like to know whether any such detailed programme will be prepared or has already been prepared.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, we must realise one point that the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 is already in existence. It normally applies to major minerals. It is for proper exploitation of minerals. If it is to be done, a working plan has to be submitted by the proponent to the Minerals Ministry. That plan requires that the mining company, which is going to exploit the potential minerals has also to recoup and put that land back into the same condition as it was existing before. But, despite this, it has not been complied with. Therefore, we are now trying to introduce additional conditionalities as a result of which the power is conferred upon the Central Government by virtue of the Forest Conservation Act. Stipulating conditions alone are not enough, because the compliances become very, very difficult. For that we need a participatory approach of the State Governments as well as of the project proponents themselves. That is why I have also convened a meeting of the representatives of the mining industry. As I said, for the first time in the history we have really commissisoned a study to find out the corelationship between the two. However, we will definitely take such steps as are really warranted and we need to have a long-terms plan. That is possible to be implemented successfully only if we have the participation of all other Ministries and not of the Ministry of Environment and Forests alone.

बच्चों के हितों की रक्षा हेतु पंचवर्षीय शैक्षणिक और तकनीकी आपातकाल की घोषणा

*343. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज दक्षिण एशिया विश्व के सबसे गरीब, जाहिल और कुपोषित क्षेत्र में तबदील हो गया है;

(ख) क्या प्रख्यात मानव संसाधन विशेषज्ञों के अनुसार इस स्थिति से बाहर निकलने का एक मात्र उपाय यह है कि बच्चों के हितों की रक्षा हेतु पंचवर्षीय शैक्षणिक और तकनीकी आपातकाल की घोषणा की जाये;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों की सरकारों के साथ मिलकर शीघ्र कार्रवाई करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) 'ह्यूमन डिवैल्पमैंट इन साउथ एशिया' नामक रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया सबसे अधिक निर्धन, सर्वाधिक निरक्षर और सबसे अधिक कुपोषित और महिलाओं के प्रति उदासीन—वास्तव में विश्व में सर्वाधिक वंचित क्षेत्र बनता जा रहा है। दक्षिण एशिया में मानव विकास पर रिपोर्ट में भारत द्वारा शिक्षा तथा संबंधित क्षेत्रों में की गयी प्रगति की सराहना की गयी है।

(ख) बच्चों के हितों की सुरक्षा हेतु पांच वर्षों के लिए शैक्षणिक और तकनीकी आपातकाल की घोषणा करना एकमात्र समाधान नहीं है। विभिन्न मोर्चों पर समन्वित और चहुमुखी प्रयास करने से बच्चों के पोषाहार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति को गति प्रदान की जा सकती है।

(ग) सरकार को इस समस्या की जानकारी है और सरकार बच्चों के पोषाहार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से सभी सम्भव प्रयास कर रही है। उदाहरण के तौर पर, महिला एवं बाल विकास विभाग के समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम तथा पोषाहार के सम्बन्ध में समर्थन, संचेतना और जागरूकता, परिवार कल्याण विभाग का प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा शिक्षा विभाग का सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा तथा मध्याहन भोजन कार्यक्रम कुछ ऐसे बहु-आयामी कार्यक्रम है, जो राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किये जा रहे हैं। जुलाई, 1998 में इस संबंध में राज्य सरकारों के मंत्रियों के साथ चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी दक्षेस बैठकों में तथा अन्य अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर इन मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

(घ) लागू नहीं होता।

श्री ओंकार सिंह: सभापति महोदय, "ह्यूमन डेवलपमेंट इन साउथ एशिया" नाम की एक रिपोर्ट अखबारों में छपी है। प्रो॰ महबूबुल हक जो दुनिया में एक मशहूर शिक्षा शास्त्री के रूप में माने जाते हैं और है भी, उनके नाम से यह रिपोर्ट आयी है। साउथ ईस्ट एशिया के देशों में भारत भी आता है। जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि भारत में बच्चों की पढ़ाई के लिए जो प्रयास हो रहे है रिपोर्ट में उसकी तारीफ की गयी है। लेकिन समाचारपत्रों में भारत को भी उसी श्रेणी में रखा गया है जिस श्रेणी को लेकर यह सवाल पूछा जा रहा है। इत्तिफाक से वह रिपोर्ट आ गयी। इत्तिफाक से हम लोग सवाल पूछ रहे है। लेकिन हमको याद है कि जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था तो हम प्रायमरी स्कूल में पढ़ते थे। हमारे गांव के आधे बच्चों से भी कम बच्चे स्कूल में जाते थे और बाकी बच्चे—और बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों हैं—स्कूल के बाहर रहते थे। पचासवीं सालगिरह के मौके पर जब हम अपने गांव गए तो आज भी 50 सैकड़ा के लगभग बच्चे विद्यालयों में जा ही नहीं पाते हैं। हमने वहां पूछा था। मंत्री जी ने जवाब में कहा कि मध्यावधि सरकार ने और सरकार माने केवल यही सरकार नहीं है, चाहे कितने दिन की होती है, बीती हुई सभी सरकारों और आने वाली सभी सरकारों के लिए यह एक चुनौती का प्रश्न है कि देश के बच्चों की आबादी का आधा हिस्सा बिना स्कूल गए रह जाए। इतना जाहिल देश 25-50 और 100 साल के बाद भी बनता रहे तो यह जिम्मेवारी हम लोगों की आती है।

पिछले दिनों समाज की इसी विसंगति का मुकाबला करने के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए और संविधान में परिवर्तन करके मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार उनके लिए जोड़ा जाए, इस तरह के विधेयक का एक प्रारूप पिछली सरकार ने पेश किया था। हम समझते हैं कि पिछली सरकार के विधेयक का प्रारूप आने वाली सरकारों के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। हम जानना चाहेंगे कि वह विधेयक आजकल किस स्थिति में है जिसमें बच्चों के लिए अनिवार्य, कंपलसरी और फंडामेंटल राइट के रूप में, मूल अधिकार के रूप में शिक्षा व्यवस्था को जोड़ना है, और इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और केवल एच॰आर॰डी॰ मंत्रालय से ही संबंधित नहीं है, यह देश के व्यापक आर्थिक नियोजन से, देश की स्वास्थ्य नीति से, देश की खाद्य नीति से, देश की संसाधन नीति से, सबसे जुड़ा हुआ सवाल है। यह वास्तव में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 50 साल के बावजूद भी हमारे देश में हम अपने बच्चों के लिए जो संवैधानिक निर्देश हैं उनका पालन नहीं कर पाते हैं। अभी पिछले प्लानिंग कमीशन ने ही इस बारे में एक आंकलन दिया था। उन्हें 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता एक आने वाली योजना में इन बच्चों को शिक्षित करने के कार्यक्रम के लिए थी। तो लगभग 25 हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस कार्यक्रम के लिए जुटाने की जरूरत है। यह सारे देश को विचार करना है, सदन को विचार करना है, सबको मिलकर विचार करना है कि इस धनराशि को केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें और समाज किस तरह से जुटाए। हम आपातकाल लगाकर, इमरजेंसी लगाकर इस काम को करने के पक्ष में नही है। यह जनतांत्रिक देश है और यहां जनतंत्र के रास्ते से ही हमें इस काम को अंजाम देना है।

जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, उस रिपोर्ट में तो प्रोफेसर हक ने इमरजेंसी की बात नहीं कही। लेकिन जो उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस की थी उसके अंदर शायद उन्होंने

इस बात का उल्लेख किया था कि कोई चार्ज आपातकाल की तरह लगायी जाए—शैक्षिक या इस रूप में। उसकी व्यवस्था तो हमारे संविधान में नहीं है। वह तो हम लगा नहीं सकते। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है वह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें इस संबंध में साधन जुटाने हैं और देश के बच्चों को शिक्षित करना है। एक विधेयक की बात कही गई, उस विधेयक पर एच०आर०डी० की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उसकी सिफारिशें मिल गई हैं और उसके सभी पक्षों पर विचार किया जा रहा है। यह एक गंभीर प्रश्न है क्योंकि इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी में राज्य सरकारों को बहुत बड़ी भागीदारी करनी पड़ती है, ला एंड फोर्सिंग एजेंसी को भी उसमें लगाना पड़ता है। तो उसके सभी पक्षों पर पूरा विचार किया जा रहा है और सरकार का यह निश्चित मत है और सरकार की नीति, जो हमारी इस संबंध में बनी है, उसमें भी है कि यह सरकार का दायित्व है, केन्द्र सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह इसकी तरह बढ़े और हम इस पर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

आपने हमारे कार्यक्रमों की सराहना का उल्लेख किया। तो इस संदर्भ में मैं इस रिपोर्ट के पृष्ठ 93 और पृष्ठ 110 पर जो उल्लेख किए गए हैं, उनकी तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने एक तो हमारे 'महिला समाख्या प्रोजेक्ट इन इंडिया, वीमेंस एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन', इस कार्यक्रम की बहुत सराहना की है और साथ ही साथ 'टीचर्स ट्रेनिंग इन इंडिया', इस कार्यक्रम की भी बहुत सराहना की है और उन्होंने यह बताया कि भारत ने इस विषय में काफी कुछ करने का प्रयत्न किया है और कुछ सफलता भी हासिल की है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसमें संतुष्ट हैं। हमारे पड़ोस के कुछ देशों ने हमसे बेहतर करके दिखाया है। इस मामले में सरकार सभी का सहयोग लेते हुए साधनों को जुटाने में और शिक्षा के तरीकों में परिवर्तन करने पर विचार करेगी। हमने सभी राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई है। एक तो अभी 23, 24 जुलाई को पहले से निश्चित है, दूसरी अगस्त में होगी जिसमें हमारे एजेंडे में, कार्य-सूची में यह महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। मैं सरकार की नीति के बारे में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कहीं पर भी शिक्षा के मामले में हम कोई चूक नहीं करेंगे और जितने साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यथासंभव और शीघ्रातिशीघ्र इस काम को पूरा करने के लिए हम निर्देश दे रहे हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, हम लोगों ने पूरी रिपोर्ट देखी नहीं, बेहतर होता कि यह रिपोर्ट लाइब्रेरी में रख दी जाती और सब लोग उसे पढ़ते, लेकिन उसकी कुछ लाइनें पढ़कर अभी मंत्री जी ने यह कहा कि भारत ने जो प्रयास किया उसकी प्रशंसा की गई है और फिर यह भी कुबूल किया कि हमारे पड़ोसी देशों ने हमसे भी अच्छा काम किया है।

डा० मुरली मनोहर जोशी: जो सही बात है, वह तो हम कहेंगे ही।

श्री जनेश्वर मिश्र: वह सच होगा, लेकिन इस पर मुझे बोलना नहीं है। मैंने यह कहा था कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए एक मध्याह्न भोजन योजना तैयार की थी। हमने कई स्कूलों में पता किया, तो पता चला कि वह मध्याह्न योजना वाला जो फंड है वह स्कूल के बच्चों के बीच में बंटता ही नहीं, फलेदार ऊपर ही ऊपर उठा लेता है। आज हालत यह है कि 65 सैकड़ा बच्चे हिन्दुस्तान के कुपोषण के शिकार हैं। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि डेढ़ करोड़ बच्चे बाल श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं, गैर सरकारी संगठनों ने वह संख्या 10 करोड़ तक बताई है। यह बड़ी भयावह स्थिति है। एक तरह से प्रतिवर्ष चार सैकड़ा बाल श्रमिकों की तादाद बढ़ रही है। सवाल यह उठता है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या समाज उनको पढ़ाना नहीं चाहता? समाज से मतलब उनके मां-बाप से लेकर, पार्लियामेंट में बैठे हम लोग, मंत्री और सरकार से है। इस सवाल का जवाब जब तक हम लोग माकूल नहीं दे पाएंगे, तब तक बात हल नहीं हो पाएगी। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में जो दोष है, वह अजीब किस्म का है। समाज के जो बड़े लोग हैं, वे तो हजार, दो हजार रुपए महीना भी खर्च कर देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर और उनके लिए जो कॉन्वेंट स्कूल, फैंसी स्कूल और कई किस्म के स्कूल खुल गए हैं लेकिन गरीब आदमी का बच्चा पढ़ नहीं पाता आर्थिक कारणों से। मां-बाप सोचते हैं कि गाय-बकरी चराए, पढ़ने न जाए या घास छीले, पढ़ने न जाए या किसी कालीन अथवा बीडी के कारखाने में जाकर बीडी बनाए, पढ़ने न जाए, ये आर्थिक मजबूरियां हैं। तो इस पर प्लानिंग कमीशन, वित्त मंत्रालय, सब लोग मिल-बैठकर बात करें, यह मैं सलाह दूंगा। यह अकेले मानव संसाधन मंत्रालय के बूते की बात नहीं है, लेकिन बच्चों के बीच में जो कई तरह के स्कूल हैं वह ठीक नहीं है। हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, कई तरह की तकदीर को लेकर जी रहे हैं लेकिन बच्चों की तकदीर के लिए अलग-अलग रास्ते खोल दिए जाएं पढ़ाई के नाम पर और उसकी छूट दी जाए, यह बात ठीक नहीं है। मंत्री जी कह सकते हैं

कि उसमें संवैधानिक संकट है, अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठेगा, मैं जानता हूं इसको। कई बार सरकार में यह चर्चा हो चुकी है, लेकिन इतना तो हो सकता है कि जो अमीर मां-बाप अपने बच्चों पर एक हजार रुपए खर्च करते हैं तो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए हर बच्चे पर सरकार दो सौ रुपए लगा दे, उन फैंसी स्कूलों में ताकि वह रुपया गरीब बच्चों के लिए छोटे-छोटे विद्यालय खोलने और नए अध्यापक नियुक्त करने में काम आ सके। सभापति जी, यह तभी हो सकता है जब कि सरकार कोई संकल्प ले और उस का एक ही रास्ता है कि बच्चों की पढ़ाई को मूल-अधिकार में जोड़ा जाए और समान शिक्षा स्थापित करने के लिए गैर-बराबरी के जो स्कूल्स हैं, उन पर पाबंदी लगायी जाए। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस विषय में राज्य सरकारों के साथ बैठकर कोई तजबीज करेंगे?

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, यह इस प्रश्न से कहीं भी उपजता नहीं है। यह एक दूसरा प्रश्न है हालांकि गंभीर प्रश्न है और उस विषय में अगर इन को कोई जानकारी चाहिए या सरकार का रिस्पांस चाहिए तो वे दूसरा प्रश्न दें, हम उस पर जरूर बात करेंगे।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: सभापति जी, जब देश आजाद हुआ था, हम प्रायः यह गीत सुनते थे "नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी।" लेकिन आज आजादी के पचास वर्ष बाद उन बच्चों की मुट्ठी में उन की तकदीर नहीं है। आज देश के बच्चों का एक बहुत बड़ा वर्ग केवल स्लेटें बनाता है और जो अभिजात्य वर्ग के बच्चे हैं, जिन के पास सुविधा है, वे ही उस पर लिखते हैं। माननीय, मैं मंत्री महोदय से स्पेसिफिक और छोटासा प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार इस दिशा में और खासकर बच्चों की शिक्षा के विषय में अपनी प्राथमिकताओं में बुनियादी रद्दो-बदल की जरूरत महसूस करती है और अगर करती है तो उस की योजना क्या है और क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो सम्बद्ध महकमे हैं जिन के बीच कोई तालमेल नहीं है, उन में तालमेल और निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा जिससे कि वह लक्ष्य प्राप्त किया जा सके?

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, जैसा कि मैंने अपने मूल-उत्तर में कहा था कि राज्य सरकारों के मंत्रियों के साथ दो बैठकें जुलाई और अगस्त महीने में आहूत हैं। उस में हम इन प्रश्नों के सभी अंगों पर विचार करेंगे क्योंकि आज हम यह अनुभव कर रहे हैं कि हमारे जितने संसाधन हैं उन में ज्यादा-से-ज्यादा बच्चों को किस प्रकार से शिक्षित कर सकें। सभापति जी, क्योंकि उस के लिए कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का सारा दायित्व राज्य सरकारों पर रहता है, इसलिए उन की राय और उन के सुझाव प्राप्त करने आवश्यक हैं। हम ने उन से परामर्श करने के पश्चात् यह निश्चय किया है कि इन साधनों में हम ज्यादा-से-ज्यादा बच्चों को कैसे शिक्षित कर सकते हैं, कैसे इस की कॉस्ट को घटाया जा सकता है । सभापति जी, इसी रिपोर्ट में जिस का कि हवाला इस प्रश्न में दिया गया है, लो-कॉस्ट टैक्नीक अपनाने की बात कही गयी है और मैं यह समझता हूं कि यह बहुत अच्छा सुझाव है जिस पर हम सभी राज्यों के साथ मिलकर विचार करेंगे। हम ऐसी योजना बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं जिस से कि दिए हुए संसाधनों में हम अधिक-से-अधिक बच्चों तक पहुंच सकें। सरकार को जो संवैधानिक निर्देश है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएं वह हमारी प्राथमिकताओं में है और हम उस तरफ पूरे कदम उठाएंगे।

श्रीमती वीणा वर्मा: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स के लिए आप विचार कर रहे हैं ताकि उस पर ज्यादा खर्चा न हो और आप बच्चों को शिक्षित कर सकें, उसी के अंतर्गत मैं उन से जानना चाहूंगी कि देश में बहुत बड़ी संख्या में मिल-मालिक बच्चों को एम्प्लायमेंट देते हैं और ऐसे बच्चे शोषण का शिकार भी होते हैं और हजारों-लाखों बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। तो क्या सरकार ऐसे उद्योगपतियों और मिल-मालिकों के लिए किसी ऐसे प्रस्ताव को मेंडेटरी बनाने के बारे में विचार कर रही है कि उन के लिए ऐसे बच्चों को शिक्षित करना कम्पलसरी हो? दूसरे देशभर में कई एन०जी०ओज० ऐसे बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए स्थापित हैं और सरकार उन को अनुदान भी देती हैं। तो क्या आप उन एन०जी०ओज० को भी यह अधिकार देंगे कि वह जाकर चैक कर सकें कि वहां ऐसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं? इस के अलावा बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं या बच्चियां स्कूलों में नहीं भेजी जा रही हैं। मैं जानना चाहूंगी कि इस बारे में मंत्री जी क्या करने का विचार रखते हैं? उन के संबंध में क्या एक्शन लिया जाए कि वे बच्चियां भी पढ़ने के लिए स्कूल जाएं?

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, वैसे तो यह सारे प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठते, लेकिन फिर भी दो महत्वपूर्ण बातों की तरफ जो माननीय सदस्या ने ध्यान दिलाया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यह विचार किया है कि चिकित्सा, शिक्षा और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इन तीनों के अंदर एक अंतःसंबंध स्थापित

किया जाए और उद्योगपतियों को शिक्षा के अंदर भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया जाए। उनसे इस संबंध में हम बात चला रहे हैं कि वे हर स्तर की शिक्षा पर अपने लाभांश में से एक निश्चित रकम लगाएं।

श्रीमती वीणा वर्मा: मेण्डेटरी बनाया जाएगा?

डा० मुरली मनोहर जोशी: वह तो संवैधानिक सवाल है। जो हम आज कर रहे हैं, वह मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से ऐसे उद्योगपतियों से यह बात की जा रही है कि वे अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल चलाएं। कुछ ऐसे उद्योगपति भी हैं, जैसे इफको वगैरह हैं, जो सरकारी क्षेत्र में हैं, वह गांवों को एडोप्ट करते हैं। इस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था में और अन्य व्यवस्थाओं में, जैसे एनवायरमैंट में, चिकित्सा में वह भागीदारी कर रहे हैं। इन योजनाओं को और अधिक संगठित रूप से चलाया जाए, इसका विचार किया जा रहा है और जो हमारी आने वाले दिनों में बैठकें होनी हैं उनमें इस पर समेकित विचार किया जाएगा। दूसरी बात, जो आपने यह पूछा कि मुस्लिम बच्चियों के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि हम बच्चियों को इस आधार पर नहीं बांटते, लेकिन जहां कहीं ऐसी शिक्षा संस्थाओं का अभाव है और यदि वहां किसी विशेष संप्रदाय के कारण या उसकी कुछ मजबूरी के कारण शिक्षा नहीं फैली है और उसके प्रोजेक्ट्स एन०जी०ओस० की तरफ से या सरकार की तरफ से आते हैं तो हम उसकी मदद करते हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह अधिकांश स्कूल चलाने का काम राज्य सरकार की ओर से आता है, हमारा दायित्व इसमें फेसिलिटेटर का है, मदद करने वाले का है, राय देने वाले का है, लेकिन वहां जाकर विद्यालय चलाने का काम, इसका दायित्व वहां पर आता है। जब भी कभी ऐसी कुछ योजनाएं आती हैं, ऐसे कुछ क्षेत्र आते हैं, उस पर हम बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं, उसकी अलग से हम सहायता भी करते हैं। जहां कहीं इन स्कूलों में किसी इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उसकी हम मदद करते हैं, नोन फोर्मल एजुकेशन सिस्टम की मदद से भी उनकी मदद करते हैं और एन०जी०ओस० अगर ऐसे कोई प्रस्ताव हमारे सामने लाते हैं, हम उसमें भी सहृदयतापूर्वक विचार करके मदद देते हैं। मैं आपके इस सुझाव से बहुत सहमत हूं और सरकार चाहती है कि बहुत बड़ी मात्रा में एन०जी०ओस० शिक्षा के क्षेत्र में आएं, शिक्षा के काम में भागीदारी करें और अगर वह शिक्षा के इस क्षेत्र के अंदर कुछ जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो वे प्रस्ताव हमारे पास भेजें, उसके बारे में भी हम बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Sir, the matter is of profound social significance for the future of the country. Our very learned and very senior colleague, Shri Mishra, has raised this question. Sir, my point is that this matter relates to a number of Ministries. It relates not only to the Ministry of Education but also to the State Governments. I would therefore, like to know from the hon. Minister whether, at a time when the Ninth Plan is on the anvil, he will suggest to the Planning Commission that a quick evaluation of the approach towards programme formulation, implementation and coordination is taken up early.

The second part of my question is whether he will himself like to call or whether he will suggest to the hon. Prime Minister to call a conference of the State Chief Ministers to see as to how an effective approach, a participatory and coordinated approach, is adopted for solving the problem about which not only the Human Resource Development Ministry Reports of the last few years but also many others have been mantioning.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, as far as the first suggestion is concerned, we are generally referring to the Planning Commission the resource problem in the field of education, particularly in the field of primary and elementary education. We have been constantly writing to them, and I can again assure the hon. Member that we will write very strongly and we will pursue very vigorously the matter with the Planning Commission. I will also communicate to the hon. Prime Minister the feelings and the suggestions of the hon. Member in this regard.

12.00 Noon

श्री गांधी आज़ाद: मान्यवर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात उल्लिखित की गई थी कि निरक्षरता का नामो-निशान मिटा दिया जाएगा, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है या नहीं? यदि कोई योजना बनाई गई है तो उसकी रूप-रेखा क्या है?

यदि नहीं बनाई गई है तो किस प्रकार आप निरक्षरता का नामो-निशान मिटाना चाहते हैं?

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, दो योजनाओं का उल्लेख बजट के अंदर ही किया जा चुका है। एक तो यह है कि बी०ए० तक महिलाओं की शिक्षा निःशुल्क करने की घोषणा की गई है और उसके लिए निश्चित राशि बजट में रखी गई है। इसी तरह से एक नेशनल री-कंस्ट्रक्शन कोर बनाने की भी घोषणा बजट में की गई है जिसके लिए एक निश्चित राशि रखी गई है। अभी हाल ही में राज्यों के युवा कार्यक्रमों के राज्य मंत्रियों की बैठक की गई थी, जिसमें यह विचार किया गया कि इस योजना के अंतर्गत पायलट प्रोजैक्ट्स वे अपने-अपने राज्यों के अंदर बनाएं और उसमें अधिकांश युवकों को शिक्षा के प्रचार-प्रसार कार्यक्रम में लगाया जाए। अनेक राज्यों से इस बारे में विचार हो रहा है और वहां ऐसी योजनाएं चल रही है कि जिसमें स्वयं सेवी लोग गांवों में जाकर और ऐसे वंचित क्षेत्रों में जाकर शिक्षा के कार्य को करें। इस मामले में अगर कोई और भी उपयोगी सुझाव सरकार को सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा दिए जायेंगे तो सरकार उनको अमल में लाने की पूरी सहानुभूति से विचार करेगी।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Norms Prescribed for Clearance under CRZ

*344. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:
SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the norms prescribed for clearance under CRZ and approval for forest conservation by the Ministry;

(b) the number of clearances and approvals given as on date in the district of Kutch to set up industries;

(c) whether his Ministry has rejected the application of Sanghi Industries Limited for the construction of jetty in Kutch under said prescribed norms;

(d) if so, the reasons therefor;

(e) whether his Ministry has reviewed the application on the orders of Hon'ble High Court of Gujarat; and

(f) if so, by when the clearance and approvals shall be given to the said company?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI SURESH PRABHU): (a) The Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification, dated 19th February, 1991 (as amended from time to time) regulates a number of activities to ensure sustainable development in the coastal areas. While setting up of new industries and expansion of existing industries except those directly related to waterfront or directly needing foreshore facilities is prohibited, operational construction for ports, harbours and jetties, laying of pipelines for oil, gas, sea water for cooling purposes and construction of beach resorts in certain designated areas, etc., are permissible activities, with prior approval from the competent authority. While approving the permissible activities, their impact on environment is taken into consideration.

For diversion of forest land for any non-forestry purpose, prior approval of the Government of India is required. Approval is accorded to the proposal after detailed scrutiny as per guidelines framed under the Forest (Conservation) Act, 1980 including ascertaining that the requirement of forest area is site specific and bare minimum.

(b) No clearance for diversion of forest land has been approved in District Kutch to set up industries. However, environmental clearance has been given to set up LPG storage facilities and Diammonium Phosphate Plant. Exemption under the Environment Impact Assessment (EIA) Notification was granted to M/s. Sanghi Industries Limited for setting up their 2.6 million tonne per annum cement plant in Kutch District since work on the project had already commenced before the date of Notification.